न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–11, कानपुर नगर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2373/2026

नफीस अहमद पुत्र स्व० रियाजउद्दीन

निवासी–म०नं०–55, सी ब्लॉक, यशोदा नगर, किदवई नगर, कानपुर नगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी०जी०सी० कानपुर नगर।

.....अभियोजन पक्ष

मु०अ०सं०– 395/2018

धारा– 420, 467, 468, 471, 120बी, 218, 219 भा0दं0सं0 एवं 3 प्रिवेंसन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट।

थाना–विधनू, कानपुर नगर।

दिनांकः 10.07.2026

1. जमानत हेतु प्रार्थी/अभियुक्त नफीस अहमद की ओर से मु०अ०सं० 395/2018 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 218, 219 भा०दं०सं० एवं 3 प्रिवेंसन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट, थाना विधनू, कानपुर नगर में प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। संलग्न प्राफार्मा/शपथपत्र के माध्यम से कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त कोई भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी अन्य न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही विचाराधीन है।

2. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र के माध्यम से उसमें वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी/अभियुक्त को बेगुनाह फंसाया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उक्त मुकदमें में घटना का कोई भी दिनांक नहीं दर्शाया गया है। घटना कब की है, कितने दिनों बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है इसके सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त नहीं है, बल्कि प्रार्थी/अभियुक्त का उपरोक्त मुकदमें में नाम रंजिशन दौरान विवेचना प्रकाश में लाया गया है। दौरान विवेचना विवेचक को प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम केवल अ०धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान के आधार पर बढ़ाया गया है

इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त लगातार बीमार रहता है तथा सुगर व ब्लड प्रेशर का मरीज है जिस कारण लगातार बीमार रहता है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी अग्रिम जमानत स्वीकृति आदेश में न्यायालय द्वारा जारी किये गए समस्त निर्देशों व शर्तों का पूर्ण निष्ठा से पालन करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को यदि न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो वह अग्रिम जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा तथा साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय व स्थान पर उपस्थित होकर विचारण में सहयोग करेगा। उपरोक्त परिस्थितियों में एवं न्यायहित में प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रि०) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम घुरुवाखेड़ा, परगना व तहसील नर्वल, कानपुर नगर स्थित आराजी संख्या 194 क्षेत्रफल 0.2340 हेक्टेअर जो नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार की कब्जा प्राप्त भूमि है, को रामभजन पुत्र मुन्ना निवासी घुरुवा खेड़ा कानपुर नगर ने तथा आराजी संख्या 223 मि० क्षेत्रफल 0.2290 हेक्टेअर व 223 मि० क्षेत्रफल 0.0820 जो नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार की कब्जा प्राप्त भूमि है, को राम नरेश व राजेश पुत्रगण स्व० प्यारेलाल ने कतिपय व्यक्तियों से सांठ–गांठ कर उक्त सरकारी भूमि पर अपना अपना नाम दर्ज कराने हेतु फर्जी परवाना तैयार कराकर प्रस्तुत किया गया है जबकि सम्बन्धित परवाना इस कार्यालय से न तो जारी किया गया है और न ही इस कार्यालय से डिस्पैच किया गया है। इसके अतिरिक्त उस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०रा०/समक्ष प्राधिकारी, कानपुर नगर के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये है जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखो में साशय कूटरचना एवं फर्जी प्रविष्टि कर मूल्यवान शासकीय सम्पत्ति को हड़पने एंव खुर्द बुर्द करने की नियत से कतिपय अज्ञात व्यक्तियों के साथ गिरोहबन्द तरीके से सरकारी कागजातों में हेराफेरी की गयी है। उक्त आपराधिक कृत्य में दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता पाये जाने पर विवेचक द्वारा इस अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त को जोड़ा गया है। विवेचना में यह भी आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त सहित प्रकरण के अन्य सह अभियुक्तगण ने संगठित होकर करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन विक्रय करके लाभ प्राप्त किया है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त भी एक है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

4. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रि०) के तर्कों को सुना तथा मामले से संबंधित पत्रावली पर उपलब्ध एफ0आई0आर0, केस डायरी व अन्य उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों तथा थाने की आख्या का अवलोकन किया।

5. मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अशोक कुमार मिश्रा नोडल अधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष थाना बिधनू, कानपुर नगर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0रा0)/समक्ष प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण कानपुर नगर के आदेश दिनांक 17.07.2018 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम अवगत कराया गया है कि ग्राम घुरूवाखेड़ा, परगना व तहसील नर्वल, कानपुर नगर स्थित आराजी संख्या 194 क्षेत्रफल 0.2340 हेक्टेअर जो नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार की कब्जा प्राप्त भूमि है, को रामभजन पुत्र मुन्ना निवासी घुरुवा खेड़ा कानपुर नगर ने तथा आराजी संख्या 223 मि० क्षेत्रफल 0.2290 हेक्टेअर व 223 मि० क्षेत्रफल 0.0820 जो नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार की कब्जा प्राप्त भूमि है, का रामनरेश व राजेश पुत्रगण स्व० प्यारेलाल ने कतिपय व्यक्तियों से सांठ–गांठ कर उक्त सरकारी भूमि पर अपना अपना नाम दर्ज कराने हेतु फर्जी परवाना तैयार कराकर प्रस्तुत किया गया है, जबकि सम्बन्धित परवाना इस कार्यालय से न तो जारी किया गया है और न ही इस कार्यालय से डिस्पैच किया गया है। इसके अतिरिक्त उस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०रा०/समक्ष प्राधिकारी, कानपुर नगर के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये है, जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में साशय कूटरचना एवं फर्जी प्रविष्टि कर मूल्यवान शासकीय सम्पत्ति को हड़पने एंव खुर्द बुर्द करने की नियत से कतिपय अज्ञात व्यक्तियों के साथ गिरोहबन्द तरीके से सरकारी कागजातों में हेराफेरी की गयी है। उक्त के क्रम में उपरोक्त व्यक्तियो एंव इससे सम्बन्धित लाभार्थियो के विरूद्र षडयन्त्र के तहत फर्जी कागजात तैयार करने, तथा सरकारी भूमि को हड़पने व खुर्द बुर्द करने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हुए नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6. उक्त तहरीर के आधार पर थाना बिधनू, कानपुर नगर में दिनांक 19.07.2018 समय 14.18 बजे अभियुक्तगण रामभजन, रामनरेश व राजेश के विरुद्ध मु०अ०सं० 395/2018 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, भा0दं0सं0 व 3 प्रिवेंसन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य, बयान अभियुक्त, बयान गवाहान व संकलित सबूतों के

आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता पाये जाने पर उसका नाम उक्त घटना में जोड़ा गया तथा प्रकरण में धारा 218, 219 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

7. इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं हिकया गया है। वह निर्दोष है। नामज़द अभियुक्त नहीं है, बल्कि रंजिशन उसका नाम दौरान विवेचना धारा 161 के बयान के आधार पर प्रकाश में लाया गया है। उसके विरुद्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। वह सुगर व ब्लेडप्रेशर का मरीज है। पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार करने की फिराक में है। वह जमानत पर रिहा होने पर विचारण कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा तथा जमानतों की शर्तों का पालन करेगा तथा साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया, जब राज्य की ओर से विद्वान ए0डी0जी0सी0 (क्रि0) द्वारा बहस के दौरान यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त ने अपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर कूटरचित फर्जी दस्तावेजों की कूटरचना करके छल कपट करके सरकारी जमीन अपने नाम दर्ज करायी तथा सरकारी जमीन का विक्रय किया। अपराध गंभीर है। प्रकरण में संकलित सबूतों के आधार पर अभियुक्त सहित अन्य सह अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त को यदि अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह विचारण कार्यवाही में सहयोग नहीं करेगा। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण की एफ0आई0आर0 अशोक कुमार मिश्रा नोडल अधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, कानपुर नगर द्वारा दर्ज करायी गयी है। एफ0आई0आर0 के अनुसार ग्राम घुरुवाखेड़ा, परगना व तहसील नर्वल, कानपुर नगर स्थित आराजी संख्या 194 क्षेत्रफल 0.2340 हेक्टेअर जो नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार की कब्जा प्राप्त भूमि है, को रामभजन पुत्र मुन्ना निवासी घुरुवा खेड़ा कानपुर नगर ने तथा आराजी संख्या 223 मि० क्षेत्रफल 0.2290 हेक्टेअर व 223 मि० क्षेत्रफल 0.0820 जो नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार की कब्जा प्राप्त भूमि है, को राम नरेश व राजेश पुत्रगण स्व० प्यारेलाल ने कतिपय व्यक्तियों से सांठ–गांठ कर उक्त सरकारी भूमि पर अपना अपना नाम दर्ज कराने हेतु फर्जी परवाना तैयार कराकर प्रस्तुत किया गया है जबकि सम्बन्धित परवाना इस कार्यालय से न तो जारी किया गया है और न ही इस कार्यालय से डिस्पैच किया गया है। इसके अतिरिक्त उस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०रा०/समक्ष प्राधिकारी, कानपुर नगर के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये है जिसके आधार पर

राजस्व अभिलेखो में साशय कूटरचना एवं फर्जी प्रविष्टि कर मूल्यवान शासकीय सम्पत्ति को हड़पने एंव खुर्द बुर्द करने की नियत से कतिपय अज्ञात व्यक्तियों के साथ गिरोहबन्द तरीके से सरकारी कागजातों में हेराफेरी की गयी है। उक्त आपराधिक कृत्य में दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता पाये जाने पर विवेचक द्वारा इस अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त को जोड़ा गया है। विवेचना में यह भी आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त सहित प्रकरण के अन्य सह अभियुक्तगण ने संगठित होकर करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन विक्रय करके लाभ प्राप्त किया है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त भी एक है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त की भी संलिप्तता प्रथमदृष्ट्या पाये जाने के आधार पर उसे प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। अपराध सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विक्रय करने, अपने नाम करने व नामान्तरण कराने के बावत का है तथा आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डनीय है। प्रकरण के अन्य सह अभियुक्तगण की जमानतें निरस्त की जा चुकी हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए उपरोक्त तर्क साक्ष्य के विषय हैं, जिन पर इस स्तर पर अभिमत नहीं दिया जा सकता है।

9. उपरोक्त तथ्य और परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के एवं अपराध की गंभीर प्रकृति के दृष्टिगत इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त नफीस अहमद की ओर से मु0अ0सं0 395/2018 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 218, 219 भा0दं0सं0 व 3 प्रिवेंसन ऑफ डैमेज टु पब्लिक प्रापर्टी एक्ट, थाना बिधनू, कानपुर नगर के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2373/2026 निरस्त किया जाता है।

(सुभाष सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–11, कानपुर नगर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6268

Digitally signed by SUBHASH SINGH
Date: 2026.07.10 16:37:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court